ग्राम पंचायत भितलू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भितलू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती उपमा देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री लाल सिंह	23.1.16 से 31.3.17

सचिव

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्री अंदल कुमार	1.4.2014 से 6/2016
2	श्री रोहित कुमार धीमान	6/2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत भितलू, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी	2.31

		अन्तर	
2	8	अनुदान राशियों का अवरोधन	3.25
3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.04

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भितलू, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.12.2017 से 16.12.17 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 09/2014, 03/2016, 07/2016 व 12/2014, 03/2016, 03/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत भितलू, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111 दिनांक 15.12.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भितलू से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत भितलू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वःस्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत भितलू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया है।

स्वःस्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	216426	60228	276654	4594	272060
2015–16	272060	34663	306723	55174	251549
2016–17	251549	52815	304364	67572	236792

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	131299	896929	1028228	789367	238861
2015–16	238861	931292	1170153	1000936	169217
2016–17	169217	2530338	2699555	2374020	325535
			कुल योग (क+ख)		**₹562327**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 रैत	20040016785	74987
2	के0सी0सी0 रैत	20010034651	0
3	के0सी0सी0 रैत	50055749907	0
4	के0सी0सी0 रैत	50055749996	0
5	के0सी0सी0 रैत	50055750060	79371
6	के0सी0सी0 रैत	5006155876221	123
7	के0सी0सी0 रैत	50055876301	44

8	के0सी0सी0 रैत	50058177537	24330
9	के0सी0सी0 रैत	5005876403	890
10	के0सी0सी0 रैत	5005570037	613387
11	हस्तगत राशि		30
		कुल योग	**₹793162**

अन्तर=₹793162–₹562327=₹230835

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31.3.2017 को ₹230835 का अन्तर पाया गया जिसके कारणों का पता लगाया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2.31 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹230835 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

(क) रोकड़ बही बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की

रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई। अतः उक्त अवधि की बैंक समाधान विवरणी तैयार करके इसे अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना अपेक्षित है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत भितलू में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वर्गीकृत सार (Classified Abstract) को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय के लिये तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत भितलू द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निर्धारित फार्म में बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹3.25 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹325535 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.04 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹104469 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं को आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 स्टॉक रजिस्टर

2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3 जल प्रभार रजिस्टर

4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर

5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7 गृहकर वसूली रजिस्टर

8 डाक टिकट रजिस्टर

9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

11 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताऐंः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

(ग) पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येंक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः–**लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 168/2018–खण्ड–1–4316–4319 दिनाँक 14.06.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भितलू, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

0177–2620881